राज्यपाल सचिवालय
राजभवन, जयपुर

क्रमांकःएफ.9(4)(4)आर.बी./जीपी/2023/पार्ट/1288 दिनांक :04मार्च, 2024

इण्डियन रेडक्रॉस सोसायटी, राज्य शाखा, जयपुर की समीक्षा बैठक दिनांक 22.02.2024 का कार्यवाही विवरणः—

माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान एवं प्रेसिडेन्ट इण्डियन रेडक्रॉस सोसायटी, राज्य शाखा, राजस्थान, जयपुर की अध्यक्षता में दिनांक 22.02.2024 को मध्यान्ह 12:30 बजे इण्डियन रेडक्रॉस सोसायटी, राज्य शाखा की समीक्षा बैठक कान्फ्रेन्स हॉल, राजभवन, जयपुर में आयोजित की गई।

बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों, सदस्यों एवं अधिकारियों का विवरण परिशिष्ठ "क" पर संलग्न है।

बैठक के प्रारम्भ में सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा उपस्थित सभी पदाधिकारियों, सदस्यों एवं अधिकारियों का स्वागत किया गया। सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा इण्डियन रेडक्रॉस सोसायटी के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए माननीय राज्यपाल महोदय से बैठक आरम्भ करने की अनुमति प्राप्त की गयी।

माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने उद्‌बोधन में बताया कि मानवता की सेवा में कार्यरत विश्वस्तर की प्रमुख संस्थाओं की सूची में इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी अपनी अलग ही पहचान रखती है। वर्तमान में राजस्थान के 33 जिलों में रेडक्रॉस की गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि हमारे प्रदेश की रेडक्रास इकाई निरंतर सुधार

करते हुए मानवता की भलाई के मौलिक सिद्धान्त के प्रसार और 'निरोगी राजस्थान' की संकल्पना को साकार करने में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करेगी। इण्डियन रेडक्रॉस सोसायटी राज्य शाखा की राज्य प्रबंध समिति के चेयरमैन, अन्य सदस्यों को राज्य प्रबंध समिति के गठन होने पर उन्हें बधाई दी गयी साथ ही अवगत कराया है कि नव गठित राज्य शाखा अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में अहम भूमिका अदा करेगी। माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा निरोगी राजस्थान योजना के तहत इण्डियन रेडक्रॉस सोसायटी को महती भूमिका निभाने का सुझाव दिया। राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान रेडक्रॉस अपनी उपलब्धियाँ पेश करेगी और अपनी पहचान बनाएगी ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है।

चेयरमैन, इण्डियन रेडक्रॉस सोसायटी, राज्य शाखा ने अपने उद्बोधन में माननीय राज्यपाल महोदय को धन्यवाद ज्ञापित किया। चेयरमैन महोदय ने राज्यपाल महोदय से आग्रह किया कि राज्य सरकार द्वारा गठित 17 जिलों में रेडक्रॉस सोसायटी के गठन के लिए वर्तमान में 33 जिलों में से 6 जिला शाखाओं में पदाधिकारियों के पद रिक्त हैं। साथ ही यह भी अवगत कराया कि राज्य में 11 जिला शाखाओं के पास ही भवन हैं, शेष के पास भवन उपलब्ध नहीं हैं, उनके लिए भवन उपलब्ध करवाने एवं रिक्त पदो को निर्धारित प्रक्रिया के तहत भरने के लिये सम्बन्धित जिला कलक्टर्स को निर्देश जारी करने का आग्रह किया गया। उन्होने यह भी बताया कि रेडक्रॉस सोसायटी की कार्यकारिणी के कार्यभार ग्रहण करने के बाद वित्तीय स्थिति का अवलोकन करने पर पाया कि सोसायटी नुकसान में ही चल रही है, जो कि वर्ष 2020–21 में 58 लाख, 2021–22 में 14 लाख तथा

2022–23 में 28 लाख और चालू वित्त वर्ष में भी लगभग 90 लाख रू. के ऊपर नुकसान में रहेगी। अतः इसके आय के स्त्रोत बढ़ाने हेतु विचार मंथन की आवश्यकता है। इण्डियन रेडक्रॉस सोसायटी के आय के स्त्रोत बढ़ाने हेतु चेयरमैन, इण्डियन रेडक्रॉस सोसायटी, राज्य शाखा द्वारा निम्नानुसार सुझाव दिये गये हैं :–

1. ड्राईविंग लाइसेंस बनवाने वाले वाहन चालकों को एक दिवसीय प्रशिक्षण अनिवार्य कर शुल्क लिया जाना।
2. स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को एक दिवसीय प्रशिक्षण अनिवार्य कर शुल्क लिया जाना।

इस संबंध में प्रमुख विशेषाधिकारी, राज्यपाल महोदय द्वारा सुझाव दिया गया कि इण्डियन रेडक्रॉस सोसायटी से अधिक से अधिक व्यक्तियों को जोड़ा जाकर सदस्यों की संख्या बढ़ाकर आय के स्त्रोत बढ़ाये जाने पर विचार किया जा सकता है।

अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने रेडक्रॉस सोसायटी द्वारा सी. एस. आर. फण्ड में राशि प्राप्त कर सरकारी अस्पताल गोद लेकर वहा शौचालयो का नवीनीकरण कर, आदिवासी क्षेत्रों में एनीमिया से बचाव, एम्बुलेंस सेवाओं को प्रभावी करने के सुझाव दिए गए इन सभी कार्यों को रेडक्रॉस सोसायटी द्वारा किए जाने के लिए राज्य सरकार द्वारा पूर्ण सहयोग दिए जाने का आश्वासन दिया।

जनरल सेकैट्री, इण्डियन रेडक्रॉस सोसायटी, राज्य शाखा ने रेडक्रॉस जिला शाखाओं द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न क्रियाकलापों एवं संस्था द्वारा की जाने वाली गतिविधियों के साथ–साथ जिला शाखाओं द्वारा वर्ष भर में

की जाने वाली गतिविधियों का कलेण्डर पावर प्वाइंट प्रजेंटेशन के माध्यम से प्रस्तुत किया।

माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा इण्डियन रेडक्रॉस सोसायटी, राज्य शाखा द्वारा प्रकाशित त्रैमासिक पत्रिका ''रेडक्रॉस टाईम्स'' के प्रथम अंक का विमोचन किया।

परिचर्चा के दौरान बैठक के एजेण्डा पर विचार–विमर्श कर निम्न लिखित प्रस्ताव पारित किए गए–

क्र. सं.	विषय–सूची (एजेण्डा)	विभाग का नाम	बैठक में लिए गए निर्णय	कार्य पूर्ण करने की समय सीमा
1.	राजस्थान में पूर्व में 33 जिले थे, जिनमें रेडक्रॉस सोसायटी की जिला शाखाओं का गठन हो चुका है। वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा 17 नए जिलों का गठन करने के कारण कुल 50 जिले हो गये हैं। अतः शेष 17 जिलों में भी रेडक्रॉस सोसायटी की जिला शाखाओं के गठन का प्रस्ताव	जिला कलक्टर्स	प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा नवीन 17 जिलों में भी IRCS की जिला शाखाओं का गठन करवाया जावें।	यह कार्य एक माह में पूरा कर लिया जाए।
2.	वर्तमान मे 33 जिलों में गठित जिला शाखाओं में से 6 जिला शाखाओं में पदाधिकारियों के पद रिक्त है एवं जिला शाखा सवाईमाधोपुर द्वारा आजीवन सदस्यों की सूची एवं अंशदान राशि राज्य शाखा को प्रेषित नहीं की गई है	जिला कलक्टर्स	राज्यपाल सचिवालय द्वारा द्वारा 6 जिला शाखाओं के कलक्टर्स को रिक्त पद निर्धारित प्रक्रिया के तहत भरने हेतु एवं जिला शाखा सवाईमाधोपुर द्वारा आजीवन सदस्यों की सूची एवं अंशदान राशि राज्य शाखा को शीघ्र भेजने हेतु कलक्टर सवाई माधोपुर को पत्र जारी किया जावें। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा नियमित समीक्षा बैठकों में IRCS का स्थाई एजेण्डा जोडकर निर्णयों की पालना करवायी जावे।	यह कार्य दो माह में पूरा कर लिया जाए।

3.	राज्य में 11 जिला शाखाओं के पास भवन हैं, जिन जिला शाखाओं के पास भवन उपलब्ध नहीं हैं, उनके लिए भवन उपलब्ध करवाने हेतु निर्देश प्रदान करवाने का प्रस्ताव	जिला कलक्टर्स	वर्तमान में राज्य में कार्य कर रही 33 जिला शाखाओं में से 11 जिला शाखाओं के पास भवन है, राजसमन्द जिला शाखा के पास भूखण्ड उपलब्ध है परन्तु भवन निर्माण शेष है एवं 21 जिला शाखाओं के पास भवन उपलब्ध नहीं हैं। अतः राज्यपाल सचिवालय द्वारा 21 जिला शाखाओं को भूखण्ड आवंटित करने हेतु संबंधित कलक्टर्स को इस बाबत् पत्र जारी किया जावें। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा नियमित बैठक कर पालना करवाई जावें।	यह कार्य चार माह में पूरा कर लिया जाए।
4.	राज्य में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाले चालकों को एक दिवसीय, 4 घण्टे की अवधि का प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण, अनिवार्य हो जिसका शुल्क रू. 500/–एवं प्रमाण–पत्र इण्डियन रेडक्रॉस सोसायटी, राज्य शाखा जयपुर द्वारा ही प्रदान किये जाने का प्रस्ताव	परिवहन विभाग	इस संबंध में राज्यपाल सचिवालय के अधिकारियों ने बताया कि इस बाबत् पूर्व में ही राज्य सरकार के परिवहन विभाग को प्रस्ताव प्रेषित किया जा चुका है। सचिव, परिवहन से अद्यतन स्थिति प्राप्त की जाकर शीघ्र निर्णय हेतु लिखा जावें।	यह कार्य दो माह में पूरा कर लिया जाए।
5.	विद्यालयों में विद्यार्थियों को एक दिवसीय प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण, जिसकी अवधि 4 घण्टे की निर्धारित हो तथा शुल्क रू. 50/– प्रति छात्र एवं ई–प्रमाण–पत्र इण्डियन रेडक्रॉस सोसायटी, राज्य शाखा जयपुर द्वारा ही प्रदान किये जाने का प्रस्ताव	माध्यमिक शिक्षा विभाग	इस बाबत् एक त्रिपक्षीय सहमति ज्ञापन (MOU) इस संबंध में राज्य सरकार के शिक्षा विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं इण्डियन रेडक्रॉस सोसायटी के मध्य प्रतिपादित किया जा कर इस संबंध में प्रभावी कार्यवाही की जावें। शुल्क विद्यार्थियों से नहीं लिया जावें, प्रशिक्षण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रयोजित किये जानें व छात्रों के लिये निःशुल्क रखे जावें।	यह कार्य दो माह में पूरा कर लिया जाए।

6.	प्रत्येक महाविद्यालय में प्रथम वर्ष में अंगदान पर एक चैप्टर अनिवार्य करवाने का प्रस्ताव	उच्च शिक्षा विभाग	इस सबंध में बैठक में उपस्थित अति. मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा स्तर पर पूर्व में ही अंगदान पर एक चैप्टर अनिवार्य कर दिया गया है एवं उच्च शिक्षा विभाग में भी एक चैप्टर अंगदान, देहदान पर अनिवार्य करने हेतु प्रस्ताव उच्च शिक्षा व तकनीकी शिक्षा विभाग को भिजवा दिया जावे।	यह कार्य तीन माह में पूरा कर लिया जाए।
7.	इण्डियन रेडक्रॉस सोसायटी, राज्य शाखा, जयपुर एवं जिला शाखा बूंदी, कोटा एवं पाली ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80G के तहत छूट का लाभ लिया हुआ है। अन्य शाखाओं द्वारा अपने स्तर पर छूट प्राप्त करने हेतु कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव है ताकि सभी शाखाओं को सी.एस. आर. फण्ड प्राप्त हो सके	जिला कलक्टर्स	इस संबंध में इण्डियन रेडक्रॉस, राज्य शाखा द्वारा राष्ट्रीय मुख्यालय नई दिल्ली को राजस्थान राज्य की सभी जिला शाखाओं को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80G के तहत छूट का लाभ एक साथ मिलने हेतु आयकर विभाग से कार्यवाही करने हेतु पत्र भिजवाया जावे।	

बैठक के अन्त में माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा उपस्थित अधिकारियों एवं पदाधिकारियों को निम्न निर्देश प्रदान किए गए–

1. राज्य के नवगठित 17 जिलों में रेडक्रॉस शाखाओं का गठन शीघ्र किया जाना सुनिश्चित किया जावे। 6 जिला शाखाओं के रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति हेतु शीघ्र प्रक्रिया शुरू की जावे। 21 जिला शाखाओं को भूखण्ड आवंटन हेतु संबंधित जिला कलक्टर्स को पत्र जारी किया जावे।
2. टी.बी. मुक्त भारत अभियान में सभी जिला शाखाओं का योगदान और निक्षय मित्रों की सहायता ली जावे एवं इनकी संख्या में बढ़ोतरी की जावे।

3. सर्वाइकल कैंसर और अन्य रोगों के प्रति जागरूकता के साथ ही रक्तदान, अंगदान और देहदान के लिए लोगों को प्रेरित करने और इससे जुड़ी भ्रांतियों के निवारण में भी जागरूकता पैदा करने के निर्देश प्रदान किए।
4. रेडक्रॉस सोसायटी, राज्य शाखा की आय बढ़ाने हेतु सभी जिला शाखाओं के आजीवन सदस्यों की न्यूनतम संख्या 500 किया जाना सुनिश्चित करें।
5. रेडक्रॉस सोसायटी द्वारा आदिवासी क्षेत्रों में रेडक्रॉस की गतिविधियों का अधिकाधिक प्रचार–प्रसार किया जावे एवं एनीमिया मुक्त भारत अभियान के तहत किशोरियों एवं महिलाओं के लिए सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम का आयोजन किया जाए।
6. विद्यार्थियों को प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण देने के साथ ही सामाजिक सेवाओं के लिए प्रेरित किये जाने के निर्देश प्रदान किये।
7. प्रत्येक जिला शाखा पर कम से कम 500 सदस्य बनाये जावे।
8. रक्तदान अंगदान व सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन सहित जिला शाखाओं को सशक्त करने हेतु जिला कलक्टर को सक्रिय होकर कार्य करे। इस हेतु जिले वार जिला कलक्टर्स को लिखा जावें। आगामी बैठक में जिला कलेक्टर्स को भी वी.सी. से जोड़ा जावें।

9. राज्य शाखा के अध्यक्ष व पदाधिकारियों को अधिकारिक कार्यों हेतु विभिन्न जिलों में व दिल्ली में गेस्ट हाउस/सर्किट हाउस की सुविधा के लिये सामान्य प्रशासन विभाग को लिखा जावे।

10. जनजाति क्षेत्रों में एनीमिया नियंत्रण, सिलिकोसिस नियंत्रण व अन्य अनुज्ञेय क्षेत्रों के सी.एस.आर. हेतु प्रस्ताव बनाकर स्थानीय व वृहद कम्पनियों को सी.एस.आर. के तहत प्रायोजन हेतु निवेदन किया जावे।

11. जनजाति क्षेत्रों में इण्डियन रेडक्रॉस सोसायटी की गतिविधियों को बढ़ाया जाये। जनजाति क्षेत्र विकास विभाग से समन्वयन बनाये रखा जाये।

12. इण्डियन रेडक्रॉस सोसायटी जिला शाखाओं व राज्य शाखाओं के भवन, एम्बुलेंस, वाहन आदि हेतु MLALADS, DMFT व अन्य उपलब्ध योजनाओं को देखा जावे एवं जिन योजनाओं के तहत गतिविधियाँ अनुज्ञेय हो उनके प्रस्ताव बनाकर भिजवाया जावे।

अन्त में चेयरमैन, इण्डियन रेडक्रॉस सोसायटी, राज्य शाखा द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक का समापन हुआ।

04/03/24

(गौरव गोयल)
सचिव, माननीय राज्यपाल

क्रमांकःएफ.9(4)(4)आर.बी. / जीपी / 2023 / 1284 दिनांक :05मार्च, 2024

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. चेयरमैन, इण्डियन रेडक्रॉस सोसायटी, राज्य शाखा, राजस्थान।
3. जनरल सेकेट्री, इण्डियन रेडक्रॉस सोसायटी, राज्य शाखा, राजस्थान।
4. कोषाध्यक्ष, इण्डियन रेडक्रॉस सोसायटी, राज्य शाखा, राजस्थान।
5. प्रभारी, इण्डियन रेडक्रॉस सोसायटी, राज्य शाखा, राजस्थान।

4/3/2024

प्रभारी अधिकारी

इण्डियन रेडक्रॉस सोसायटी

परिशिष्ठ "क"

बैठक में उपस्थित इण्डियन रेडक्रॉस सोसायटी, राज्य शाखा, राजस्थान के पदाधिकारी एवं अधिकारियों की सूचीः–

1. श्रीमती शुभ्रा सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. श्री राजेश कृष्ण बिरला, चेयरमैन, इण्डियन रेडक्रॉस सोसायटी, राज्य शाखा, राजस्थान।
3. श्री जगदीश जिंदल, जनरल सेकेट्री, इण्डियन रेडक्रॉस सोसायटी, राज्य शाखा, राजस्थान।
4. श्री रमेश मूंदड़ा, कोषाध्यक्ष, इण्डियन रेडक्रॉस सोसायटी, राज्य शाखा, राजस्थान।
5. श्री आर.के.जैन, सदस्य, इण्डियन रेडक्रॉस सोसायटी, राज्य शाखा, राजस्थान।
6. श्री महेन्द्र शर्मा, सदस्य, इण्डियन रेडक्रॉस सोसायटी, राज्य शाखा, राजस्थान।
7. श्रीमती नीलम जैन, प्रभारी, इण्डियन रेडक्रॉस सोसायटी, राज्य शाखा, राजस्थान।